सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के प्रस्तर–4 (1) (ख) के प्राविधानों के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की विवरणिका

1. संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य :–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग का सृजन वर्ष 1972 में ग्रामीण अंचलों में निर्माण कार्यो का सम्पादन कराने के उद्देश्य से किया गया था। वर्ष 1972 में रू0 5.20 करोड़ के निर्माण कार्यो के सम्पादन से विभाग प्रारम्भ हुआ था जो वर्ष 2013–14 में बढ़कर (सामान्य प्रखण्डों में रू0 1055.03 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत रू0 363.45 करोड़ तथा लोहिया समग्र ग्राम विकास एवं सी0सी0 रोड योजनान्तर्गत रु0 193.16 करोड) कुल रू0 1611.65 करोड़ तक पहुंच गया है। वर्ष 1972–73 से 2013–14 तक सामान्य प्रखण्डों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो की वित्तीय प्रगति संलग्नक–1 में दी गई है। विभाग में पूर्व उपलब्ध स्टाफ से ही 31 जनपदों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 57 पी0आई0यू0 प्रखण्डों का भी गठन किया गया है। वर्ष 2013–14 में विभाग को रू0 1611.65 करोड़ (सामान्य प्रखण्ड में रु0 1055.50 प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना में रु0 363.45 लोहिया समग्र ग्राम विकास एवं सी0सी0 रोड योजनान्तर्गत रु0 193.16 करोड़) की धनराशि उपलब्ध हुई थी जिसके सापेक्ष रू0 1254.01 करोड़ (सामान्य प्रखण्ड में रु0 793.31 प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना में रु0 363.45 एवं लोहिया समग्र ग्राम विकास एवं सी0सी0 रोड में रु0 97.24 करोड़) का व्यय करके विभिन्न निर्माण कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

विभाग में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता का 01 पद, मुख्य अभियन्ता ग्रेड–2 के दो पद, अधीक्षण अभियन्ता के 20 पद, अधिशासी अभियन्ता के 87 पद, सहायक अभियन्ता के 264 पद तथा अवर अभियन्ता के 2022 पद अन्य पदों के साथ–साथ स्वीकृत है। प्रदेश को दो भागों में बांटकर मुख्य अभियन्ता (पूर्वी) तथा मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी) को सात–सात परिमण्डलों के प्रशासनिक नियंत्रण का दायित्व सौपा गया है। प्रदेश में कुल 14 परिमण्डल तथा 75 प्रखण्ड कार्यालय हैं।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्र समितियों द्वारा विभिन्न रोजगार परक योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यो के संबंध में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अवर अभियन्ता द्वारा तकनीकी सहायता दी जाती है। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा का एक अवर अभियन्ता तैनात है।

विभाग द्वारा अब तक ग्राम्य विकास, पशु पालन, शिक्षा, खादी एवं ग्रामोद्योग चिकित्सा, पर्यटन, खेलकूद, राजस्व, कृषि, उद्यान आदि विभागों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण तथा विधायक निधि, सांसद निधि, पी0एम0जी0एस0वाई, बार्डर एरिया डेवलपमेंट, राष्ट्रीय सम विकास योजना, पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि, अम्बेडकर ग्राम एवं सी0सी0 रोड आदि योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य कराया गया है।

विभाग द्वारा निर्माण कार्यो का सम्पादन ठेकेदारी प्रथा से तथा कुछ रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत मस्टररोल के माध्यम से कराया जाता है। निर्माण कार्यो का सम्पादन कार्यस्थल पर अवर अभियन्ताओं की देख–रेख में होता है तथा सहायक अभियन्ता, एवं अधिशासी अभियन्ता के स्तर पर समय–समय पर निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया जाता है। गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान किया जाता है। परिमण्डल स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्च स्तर पर मुख्य अभियन्ता तथा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा भी समय–समय पर निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया जाता है।

संलग्नक–1

–: वर्ष 1972–73 से वर्ष 2013–14 तक विभागीय प्रगति एक दृष्टि में :–

कमांक	वर्ष	सामान्य योजना			प्रा0मं0ग्रा0स0 योजना			डा0 अम्बेडकर ग्रा0स0वि0 एवं सी0सी0रोड योजना		
		उपलब्ध धनराशि (लाख रू0 में)	व्यय धनराशि (लाख रू0 में)	प्रतिशत	उपलब्ध धनराशि (लाख रू0 में)	व्यय धनराशि (लाख रू0में)	प्रतिशत	उपलब्ध धनराशि (लाख रू0 में)	व्यय धनराशि (लाख रू0में)	प्रतिशत
1	1972–73	520	327	63	–	–	–	–	–	–
2	1973–74	671	552	82	–	–	–	–	–	–
3	1974–75	642	334	52	–	–	–	–	–	–
4	1975–76	516	268	52	–	–	–	–	–	–
5	1976–77	768	378	49	–	–	–	–	–	–
6	1977–78	1100	463	42	–	–	–	–	–	–
7	1978–79	1306	558	43	–	–	–	–	–	–
8	1979–80	1402	773	55	–	–	–	–	–	–
9	1980–81	2573	1831	71	–	–	–	–	–	–
10	1981–82	3200	2270	71	–	–	–	–	–	–
11	1983–84	3600	2936	82	–	–	–	–	–	–
12	1984–84	4020	3203	80	–	–	–	–	–	–
13	1984–85	5590	4773	85	–	–	–	–	–	–
14	1985–86	5750	4839	84	–	–	–	–	–	–
15	1986–87	7579	5936	78	–	–	–	–	–	–
16	1987–88	9466	7136	75	–	–	–	–	–	–
17	1988–89	11800	8063	68	–	–	–	–	–	–

18	1989–90	8194	5452	67	–	–	–	–	–	–
19	1990–91	8427	5640	67	–	–	–	–	–	–
20	1991–92	8176	5767	71	–	–	–	–	–	–
21	1992–93	8632	6517	75	–	–	–	–	–	–
22	1993–94	9843	7164	73	–	–	–	–	–	–
23	1994–95	13938	9901	71	–	–	–	–	–	–
24	1995–96	17673	12758	72	–	–	–	–	–	–
25	1996–97	16193	11682	72	–	–	–	–	–	–
26	1997–98	22457	15705	70	–	–	–	–	–	–
27	1998–99	31181	22287	71	–	–	–	–	–	–
28	1999–00	34480	25930	75	–	–	–	–	–	–
29	2000–01	27382	20419	75	–	–	–	–	–	–
30	2001–02	27066	16945	62.6	–	–		–	–	
31	2002–03	44418	29380	66.14	5472	5472	100.00	–	–	
32	2003–04	38985	29045	74.50	3642	3642	100.00	–	–	
33	2004–05	45501	34847	76.59	17629	17629	100.00	–	–	
34	2005–06	51601	39081	75.74	17357	17357	100.00	–	–	
35	2006–07	57479	45051	78.38	34073	34073	100.00	–	–	
36	2007–08	54676	37352	68.32	56558	51152	90.44	–	–	
37	2008–09	61489	45129	73.39	89085	88672	99.54	160041	123618	77.24
38	2009–10	42291	31126	73.60	131335	129343	98.48	71846	91214	126.96
39	2010–11	48822	38424	78.70	52419	46079	87.91	91388	87290	95.52
40	2011–12	59340	47116	79.40	9157	7950	86.82	128439	115399	89.85
41	2012–13	50882	37338	73.38	5224	5224	100.00	34100	25896	75.94
42	2013–14	105503	79331	75.19	36345	36345	100.00	19316	9724	50.34